भारतीय रिज़र्व बैंक
ग्रामीण आयोजना एवं ऋण विभाग
केंद्रीय कार्यालय

हितलाभों का इलेक्ट्रानिक माध्यम से अंतरण और इसे वित्तीय समावेशन योजना के साथ जोडने के संबंध में परिचालनात्मक दिशा-निर्देश

अगस्त 2011

<u>परिचालनात्मक दिशानिर्देश - हितलाभों का इलेक्ट्रानिक माध्यम से अंतरण (ईबीटी) और इसे वित्तीय समावेशन योजना (एफआईपी) के साथ जोडने के संबंध में</u>

क. वित्तीय समावेशन

1. हमारे देश के समावेशी विकास के दृष्टिकोण से वित्तीय समावेशन एक महत्वपूर्ण कारक है। वित्तीय समावेशन को इस प्रकार परिभाषित किया गया है "कमजोर वर्गों तथा निम्न आय समूहों जैसे- वंचित समूहों को प्रमुख संस्थागत सहभागियों द्वारा एक निष्पक्ष तथा पारदर्शी तरीके से किफायती मूल्य पर यथोचित वित्तीय उत्पाद तथा सेवाएं उपलब्ध कराना"।

2. समावेशी विकास के दृष्टिकोण से, भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए 'बैंक-अग्रणी' माडल अपनाया है। इसका उद्देश्य पूरे देश में यथासमय सभी गांवों में कम लागत वाली शाखाओं, कारोबारी प्रतिनिधियों के माध्यम से शाखारहित बैंकिंग तथा अन्य साधनों जैसे कि मोबाईल वैन, ग्रामीण एटीएम आदि के माध्यम से एक निम्न लागत, कुशल आईसीटी आधारित बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

3. केंद्र तथा राज्य सरकारों ने गरीबों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमएनआरईजीएस), राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन (एनओएपीएस) जैसी विभिन्न कल्याण योजनाओं को संस्थागत रूप दिया है। इन कल्याण योजनाओं में भुगतान प्रत्यक्ष रूप से या तो वस्तु/ नकदी में या अप्रत्यक्ष रूप से जैसे कि सार्वजनिक वितरण योजना के माध्यम से किया जा रहा है। ये भुगतान सरकारों द्वारा विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से किए जा रहे हैं। किसी भी कल्याण योजना/राज्य हित लाभ अंतरण की सफलता के लिए बिना किसी लीकेज के हितलाभों का समय पर वितरण करना बहुत जरूरी है।

4. इसलिए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय समावेशन के एक भाग के रूप में, सरकारों को वित्तीय मध्यस्थता के लिए इलेक्ट्रानिक माध्यम से सामाजिक सुरक्षा संबंधी भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित किया। वित्तीय समावेशन के अंतर्गत इलेक्ट्रानिक माध्यम से अंतरण एक ऐसा उत्पाद है जो बैंक खातों के माध्यम से हिताधिकारियों को भुगतान दिलाने में सहायता करता है। इससे उच्च मात्रा वाले छोटे-छोटे भुगतानों में लगने वाले खर्च और समय से राज्य सरकार के अधिकारियों को राहत मिलेगी। ग्राहकों को उनके घर पर ही बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने में बैंकों को कुछ न कुछ लागत वहन करनी ही पडती

है। इलेक्ट्रानिक माध्यम से अंतरण लेनदेनों के लिए राज्य सरकारों द्वारा कमीशन का भुगतान किए जाने से यह माडल आर्थिक रूप से व्यवहार्य हो जाता है और इससे दूरस्थ गांवों तक बैंकों को पहुंचने में सहायता भी मिलती है। यह बैंकों को ऋण उत्पादों को भुगतान के साथ जोडने का कारोबारी मौका भी देता है।

5. रिज़र्व बैंक ने केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा इलेक्ट्रानिक माध्यम से अंतरण कार्यान्वयन के लिए एक यथोचित फ्रेमवर्क डिज़ाईन करने के लिए एक समिति (अध्यक्ष डॉ.आर.बी. बर्मन)। समिति ने सिफारिश की है कि ईबीटी योजना के कार्यान्वयन के लिए "एक जिला – एक बैंक माडल" अपनाया जाए। सिफारिशों के आधार पर, हरियाणा, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पंजाब आदि कुछ राज्यों में राज्य सरकारों ने प्रायोगिक आधार पर कुछ जिलों में "एक जिला - एक बैंक ईबीटी माडल'' कार्यान्वित किया है।

ख. "एक जिला - एक बैंक माडल" अपनाते हुए इलेक्ट्रानिक माध्यम से अंतरण योजना

इस माडल में, बैंक के कारोबारी प्रतिनिधि के स्थान पर बायोमीट्रिक स्मार्ट कार्डो का प्रयोग करते हुए हाथ में पकड़े यंत्रों से हिताधिकारी के घर पर ही किसी एक विनिर्दिष्ट बैंक को सरकारी भुगतान करने के लिए अधिदेश दिया जाता है। तथापि, इलेक्ट्रानिक माध्यम से अंतरण माडल के एक जिला एक बैंक के माडल को आगे बढ़ाने में विभिन्न स्टेकधारकों द्वारा निम्नलिखित कठिनाइयां बतलाई गई हैं।

क) किसी विनिर्दिष्ट बैंक के पास पूरे जिले में पहुंचाने में अपने आप पर्याप्त शाखा/ कारोबारी प्रतिनिधि नेटवर्क न हो।

ख) यदि किसी तरह विनिर्दिष्ट बैंक जिले में इलेक्ट्रानिक माध्यम से अंतरण हो भी तो भी हो सकता है कि वह ग्राहकों को जमाराशियों, ओवरड्राफ्ट, विप्रेषण तथा जनरल क्रेडिट कार्ड/ किसान क्रेडिट कार्ड जैसी अन्य वित्तीय सेवाएं उपलब्ध न करा पाए। हो सकता है कि वह गैर सरकारी हिताधिकारियो को बैंकिंग सेवाएं भी उपलब्ध न करा पाए।

ग) इलेक्ट्रानिक माध्यम से अंतरण हिताधिकारियों को नगद सामाजिक सुरक्षा भुगतान करने के लिए विनिर्दिष्ट बैंक गांवों में महीने में 2-3 पहले से निर्धारित दिनों पर ही कारोबारी प्रतिनिधि नियोजित कर सकता है।

घ) हो सकता है कि विनिर्दिष्ट बैंक गैर सरकारी हिताधिकारियों को बैंकिंग सेवाएं भी उपलब्ध न करा पाएं। ऐसा इसलिए हो सकता है कि मार्च 2012 तक 2000 से अधिक आबादी वाले 72,800 गांवों में पहुंचने के लिए, राज्य स्तरीय बैंकर समिति ने बैंकों को बैंकिंग रहित गांवों आबंटित करने के लिए सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण अपनाया है। इससे ईबीटी द्वारा विनिर्दिष्ट बैंक तथा वित्तीय समावेशन योजना द्वारा विनिर्दिष्ट बैंक के बीच

गांवों का दोहराव हो गया है। हालांकि इस समय वित्तीय समावेशन पर कोई प्रतिबंध नहीं है लेकिन भविष्य में व्यवहार्यता संबंधी मुद्दे उठ खड़े हो सकते हैं जिनका समाधान करना जरूरी होगा।

ङ) इलेक्ट्रानिक माध्यम से अंतरण हिताधिकारियों को उनके नियमित बैंकिंग लेनदेनों के लिए दूसरे बैंकों में खाते खोलने होंगे। विभिन्न बैंकों से सेवाएं प्राप्त करते समय हिताधिकारी को एक से अधिक खाते/स्मार्ट कार्ड का प्रयोग करना होगा।

च) इसलिए एक बैंक - एक जिला माडल से जनता को अपनी पसंद के बैंक से बेहतर सुविधाओं, आदि प्राप्त करने की स्वतंत्रता नहीं रहेगी।

छ) उपर्युक्त बताई गई सारी सुविधाओं के न होने से इन स्थानों पर कारोबारी प्रतिनिधि/ शाखा व्यवहार्य नहीं होंगी।

ग. इलेक्ट्रानिक माध्यम से अंतरण तथा वित्तीय समावेशन योजना को जोड़ने की आवश्यकता

1. "एक जिला-एक बैंक माडल" के अधीन अग्रणी बैंक से अपेक्षा है कि वह क्षेत्र के सभी निवासियों को सभी प्रकार की बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराएं। तथापि, किसी एक बैंक के लिए जिले के सभी निवासियों को सभी प्रकार की बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करा जाना कठिन होगा। इसके अतिरिक्त, कारोबारी प्रतिनिधि माडल से बैंक यथोचित लागत पर बेहतर पहुंच प्राप्त कर सकेंगे। यदि कारोबारी प्रतिनिधि को केवल इलेक्ट्रानिक माध्यम से अंतरण भुगतान तथा वितरण तक सीमित रखा जाता है तो उनकी सेवाओं का पूरा उपयोग नहीं हो पाएगा।

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, मार्च 2012 तक 2000 से अधिक की आबादी वाले 72800 गांवों तक पहुंचने के लिए, बैंकों को बैंक सुविधा रहित गांव आबंटित करने के लिए राज्य स्तरीय बैंकर समितियों ने सामान्यतया सेवा क्षेत्र योजना (एसएए) को अपनाया है। इससे इलेक्ट्रानिक माध्यम से अंतरण बैंक तथा वित्तीय समावेशन योजना बैंक के बीच गांवों के दोहराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हालांकि इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन वित्तीय समावेशन के इस चरण में इससे अकुशलता हो सकती है और यह व्यर्थपूर्ण और खर्चीला साबित हो सकता है।

3. जब तक कि बैंक ऋण उत्पाद भी नहीं देते, तब तक उन्हें वांछित आय प्राप्त नहीं होगी। यह आवश्यक है कि सभी बैंकिंग लेनदेनों के लिए इलेक्ट्रानिक माध्यम से अंतरण खातों का इष्टतम उपयोग किया जाए। चूंकि बैंकों ने हिताधिकारियों के घर पर ही इलेक्ट्रानिक माध्यम से अंतरण भुगतान के लिए कारोबार प्रतिनिधि बुनियादी सुविधाओं में निदेश किया है, इसलिए वे बिना किसी अतिरिक्त लागत के उप गांवों में गैर हिताधिकारियों को बैंकिंग सुविधाएं दे सकते हैं।

4. वित्तीय समावेशन के इस चरण में, बैंकिंग सुविधा रहित गांवो को विभिन्न बैंकों के बीच आबंटित करने का उद्देश्य यह है कि इन गांवों में चार उत्पादों अर्थात् बचत, ऋण विप्रेषण और बीमा की बैंकिंग सुविधाएं देने के लिए कम से कम एक बैंकिंग आउटलेट उपलब्ध करा दिया जाए। **इससे इन क्षेत्रों में किसी और बैंक को परिचालन करने और उपलब्ध कारोबारी संभावना के आधार पर बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने से वंचित नहीं होना पड़ेगा। वित्तीय समावेशन माडल के सफल होने के लिए यह आवश्यक है कि इलेक्ट्रानिक माध्यम से अंतरण तथा वित्तीय समावेशन योजना माडलों को परस्पर जोड़ दिया जाए।**

च. इलेक्ट्रानिक माध्यम से अंतरण कार्यान्वयन

1. सभी गांवों में बैंकिंग के प्रसार की आवश्यकता को देखते हुए, यह सुझाव है कि अब से इलेक्ट्रानिक माध्यम से अंतरण कार्यान्वयन के लिए **एक जिला - कई बैंक - एक अग्रणी बैंक** माडल अपनाया जाए। इस माडल में, जिले के सभी बैंक इलेक्ट्रानिक माध्यम से अंतरण में सहभागिता करते हैं, हालांकि प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार केवल एक अग्रणी बैंक से व्यवहार करती है। रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय और राज्य स्तरीय बैंकर समिति के परामर्श से राज्य सरकार अग्रणी बैंक विनिर्दिष्ट करेगी, जो राज्य सरकार से निधियां प्राप्त करके कमीशन आधार पर हिताधिकारियों के खाते में जमा करने के लिए अंतर बैंक अंतरण के माध्यम से अन्य बैंकों को निधियां अंतरित करेगा। राज्य सरकार द्वारा दिया गया कमीशन उस राशि में से होगा जो उच्च मात्रा के छोटे मूल्य के भुगतान व्यक्तियों द्वारा न करने से खर्च से उनकी बचत होगी। राजस्व शेयर करने के माडल का निर्धारण सहभागी बैंकों में परस्पर सहमति से किया जाएगा। आज, तत्काल सकल भुगतान, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण तथा एनईसीएस जैसे विभिन्न साधनों के इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण उपलब्ध होने से अग्रणी बैंक शीघ्रता से तथा किफायती तरीके से निधियां अन्य सहभागी बैंकों को अंतरित कर सकता है।
2. तथापि, जहां माडल विद्यमान है और पहले ही से कार्यरत है, वहां एक जिला-एक बैंक माडल अपनाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है बशर्ते बैंक न्यूनतम बैंकिंग सुविधाओं की सभी सेवाएं उपलब्ध कराने की स्थिति में हो। तथापि, सभी परिचालनात्मक बाधाओं का समाधान राज्य सरकार और संबंधित बैंक द्वारा परस्पर सहमति से करना होगा। ऐसे मामले में इलेक्ट्रानिक माध्यम से अंतरण कार्यान्वयित करने वाले बैंक को इस विनियामक आवश्यकता का पालन करना होगा कि अस्थायी (ब्रिक एण्ड मार्टार) शाखाएं इन गांवों में प्रत्येक कारोबारी प्रतिनिधि आउटलेट के 30 किमी परिधि में स्थित हों। ऐसे मामलों में जब तक उन्हें इलेक्ट्रानिक माध्यम से अंतरण मांडेट भी प्राप्त नहीं हो

जाता इन जिलों में आबंटित गांवों में वित्तीय समावेशन योजना कार्यान्वित करने वाले बैंक का उत्तरदायित्व द्वितीयक होगा। तथापि, वित्तीय समावेशन योजना के अधीन आबंटित गांवों में बैंक बैंकिंग आउटलेट खोलना और ग्राहकों का पंजीकरण करना जारी रखेंगे।

3. चूंकि इलेक्ट्रानिक माध्यम से अंतरण योजना समग्र वित्तीय समावेशन योजना का एक भाग है इसलिए इलेक्ट्रानिक माध्यम से अंतरण खातों से अपेक्षित हे कि वे जमाखाता योजना, अर्थात् ओवरड्राफ्ट सहित आवर्ती खाता, जनरल क्रेडिट कार्ड/ किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में विप्रेषण और उद्यम ऋण उत्पाद जैसे कई बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करेंगे। राज्य सरकारों को ऐसी कोई शर्त नहीं लगानी चाहिए जो इलेक्ट्रानिक माध्यम से अंतरण खातों को अन्य बैंकिंग लेनदेन करने से रोकती हो। भविष्य में जब भी बैंकों के माध्यम से राज्य सरकार इलेक्ट्रानिक माध्यम से अंतरण योजना कार्यान्वित करना चाहती है, तो योजना के विवरण पर पहले राज्य स्तरीय बैंकर समिति में चर्चा होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, चूंकि इलेक्ट्रानिक माध्यम से अंतरण खाते नियमित नो फ्रिलबचत खाते हैं, इसलिए उन पर विनियामक दिशानिर्देश लागू होंगे। उदाहरण के लिए, ये खाते किसी राज्य सरकार की एजेंसी के साथ संयुक्त खातों के रूप में नहीं खोले जा सकते। राज्य सरकार की जिन चिंताओं के कारण यह मांग उठी, उनका यथोचित नियंत्रणों द्वारा समाधान किया जाना चाहिए। इसी प्रकार, कुछ राज्यों में, इलेक्ट्रानिक माध्यम से अंतरण खातों में 2-3 महीनों में कोई लेनदेन न होने पर उन्हें निष्क्रिय बना दिया जाता है। विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसा करने की अनुमति नहीं है। अत: ऐसे मामलों में, खाते को न तो निष्क्रिय बनाया जा सकता है और न ही उसे राज्य सरकार को लौटाया जा सकता है। राज्य सरकार की चिंताओं का समाधान उन खातों की अपवाद रिपोर्ट दे कर किया जा सकता है जहा 2-3 महीने के लिए कोई लेनदेन नहीं हुआ है।

4. राज्य सरकार प्रत्येक सामाजिक लाभ योजना के लिए प्रशासन का एक संपर्क विभाग विनिर्दिष्ट करेगी। सरकारी एजेंसी और बैंकों के बीच हस्ताक्षर किए गए सहमति ज्ञापन के प्रावधान रिज़र्व बैंक के विद्यमान दिशानिर्देशों और अधिसूचनाओं के अनुरूप होने चाहिए। संपर्क विभाग जनसंस्था के विवरण सहित जिले के लिए हिताधिकारियों की सूची बैंक को उपलब्ध कराएगा। संपर्क विभाग अग्रणी बैंक के साथ अपने नाम में बचत खाता रखेगा। बैंक में विभाग के नाम में राज्य सरकार के कोषागार बैंक द्वारा एक समेकित राशि जमा कर दी जाएगी। विभाग प्रत्येक महीने अग्रणी बैंक को अनुदेश भेजेगा जिसमें इलेक्ट्रानिक फार्म में हिताधिकारियों की अद्यतन सूची शामिल होगी। तब बैंक संपर्क विभाग के बचत खाते को नामे करके हिताधिकारियों के खातों में राशि जमा

करने की व्यवस्था करेगा। राज्य सरकारों द्वारा वांछित सूचना प्रबंध प्रणाली स्वत: ही मजबूत हो जाएगी क्योंकि एक छोर से दूसरे छोर पर भुगतान संबंधी सूचना इलैक्ट्रानिक फार्म में और बिना किसी बाधा के जाएगी जिससे विभिन्न प्रकार की रिपोर्टें तैयार करने के लिए एक डाटा बेस बन जाएगा।

5. इलेक्ट्रानिक माध्यम से अंतरण के कार्यान्वयन और उपदान के प्रत्यक्ष अंतरण के लिए पूर्ण वित्तीय समावेशन प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ हिताधिकारी 2000 से कम जनसंख्या वाले गांव में होंगे इसलिए सभी इलेक्ट्रानिक माध्यम से अंतरण हिताधिकारियों को कवर करने के लिए वांछित मूलभूत सुविधाओं की योजना बना कर उन्हें उपलब्ध कराया जाना चाहिए। राज्य स्तरीय बैंकर समिति को 1000 से कम जनसंख्या सहित बैंकिंग सुविधा से रहित गांवों को कवर करने के लिए तुरंत एक कार्रवाई योजना तैयार करनी चाहिए। इन गांवों का आबंटन भौगोलिक निकटता के आधार पर किया जा सकता है। जिन राज्यों/ जिलों में इलेक्ट्रानिक माध्यम से अंतरण अभी कार्यान्वित किया जाना है, तो यह बैंकों के लिए एक मौका है कि जनसंख्या के मानदंड के बिना बैंकिंग सुविधा रहित सभी गांवों में वांछित मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएं। इससे जब भी राज्य सरकार इलेक्ट्रानिक माध्यम से अंतरण कार्यान्वित करने का निर्णय लेती है तो बैंक सभी हिताधिकारियों को सेवाएं उपलब्ध कराने की स्थिति में होंगे।

6. वित्तीय समावेशन योजना के अधीन, सभी गांवों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करा दिए जाने पर, इलेक्ट्रानिक माध्यम से अंतरण योजना तथा वित्तीय समावेशन योजना के बीच जुड़ाव स्वत: ही प्राप्त हो जाएगा। एक बार बैंकिंग सुविधारहित गांवों को कवर करते हुए वित्तीय समावेशन योजना पूरी तरह से कार्यान्वित हो जाता है और यूआईडी सभी गांववालों को आबंटित कर दी जाती है, तो एक 'माडल' उभर कर आएगा जिसमें ग्राहक के पास विकल्प होगा कि यूआईडी से लैस माइक्रो एटीएम का प्रयोग करते हुए किसी भी गांव में अपनी पसंद के बैंक से लेनदेन कर सके। इससे ग्राहकों की स्थानीय शक्ति संगठन से असुरक्षा कम होगी, और कारोबारी प्रतिनिधियों द्वारा शोषण का जोखिम कम होगा। ग्राहक इलैक्ट्रानिक रूप से एक दूसरे के साथ और गांव के बाहर व्यक्तियों और फर्मों से लेन देन कर सकेंगे। इससे नकदी पर उनकी निर्भरता कम होगी, और लेनदेनों की लागत कम होगी। चूंकि बैंकिंग सार्वजनिक हित में है, सार्वजनिक नीति के लिए यह जरूरी है।

ड़ "एक जिला कई बैंक - एक लीडर बैंक" मॉडल – वर्कफ्लो

1.	राज्य सरकार को किसी जिला विशेष के संबंध में इलेक्ट्रानिक लाभ अंतरण को लागू करने के लिए एक लीडर बैंक का चयन करना होगा तथा जिला स्तर पर समन्वयन के लिए एक नोडल विभाग को पदनामित करना होगा।
2.	किसी जिला विशेष के संबंध में राज्य सरकार को लीडर बैंक के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने होंगे।
3.	लीडर बैंक को उस जिले के अन्य सहभागी बैंकों के साथ राजस्व हिस्सेदारी संबंधी संविदा के संबंध में व्यवस्थाएं करनी होंगी।
4.	नोडल विभाग लीडर बैंक के सभी लाभार्थियों की सूची प्रदान करेगा।
5.	नोडल बैंक लाभार्थियों की सूची समस्त सहभागी बैंकों के बीच वितरित करेगा।
6.	सहभागी बैंक टेक्नोलॉजी प्रदाता का चयन करने के लिए नियुक्ति करेंगे तथा सभी गांवों में बीसी/सीएसपी नियोजित करेंगे।
7.	बीसी/सीएसपी खाते खोलने तथा स्मार्ट कार्ड जारी करने के लिए सभी लाभार्थियों, सहभागी बैंकों के नाम दर्ज करा लेंगे।
8.	नोडल विभाग लीडर बैंक के पास एक बचत खाता खोलेगा।
9.	नोडल विभाग वे फाइलें इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध कराएगा जिनमें लाभार्थियों के हर महीने के ब्यौरे दिए गए हों तथा बैंक के पास रखे बचत खाते में आवश्यक राशि जमा करवाने की व्यवस्था करेगा।
10.	लीडर बैंक उक्त राशि अन्य सहभागी बैंकों में इलेक्ट्रानिक माध्यम से जमा करवाने की व्यवस्था करेगा।
11.	सहभागी बैंक उसी दिन लाभार्थियों के खातों में राशि जमा कर देंगे और लीडर बैंक को पुष्टि की सूचना भेजेंगे।
12.	लीडर बैंक नोडल विभाग को राशि जमा कर दिए जाने की पुष्टि करेगा।
13.	अब निधियां लाभार्थियों को उनकी अपनी जरूरत के अनुसार काम में लाने के लिए उनके हाथ में हैं।
14.	सहभागी बैंक लीडर बैंक को एमआइएस रिपोर्ट उपलब्ध करायेंगे और लीडर बैंक ये रिपोर्ट नोडल विभाग को प्रस्तुत करेगा।
15.	नोडल विभाग के साथ खाते के समाधान का कार्य लीडर बैंक द्वारा हो सके तो, दैनिक आधार पर किया जाए, परंतु अन्यथा यह कम से कम साप्ताहिक आधार पर किया ही जाना चाहिए।
16.	लीडर बैंक द्वारा ईबीटी के कार्यान्वयन में होनेवाली गतिविधियां जिला परामर्शदात्री समिति / खंड स्तरीय बैंकर समिति स्तर पर हर महीने मेल (डाक) द्वारा सूचित की जानी चाहिए। कार्यान्वयन में उठनेवाले किसी नीतिगत या संरचनागत मामले पर राज्य स्तरीय बैंकर समिति स्तर पर चर्चा की जानी चाहिए।